इकाई 2

लिंग चुनौती और शिक्षा

Global commitment to "leaving no one behind" as set out in the Sustainable Development Goals (SDGs)

लिंग एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया हैं , जो व्यक्ति के व्यवहार , भूमिका जिम्मेदारियों और व्यवहार के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। लिंग का कार्य समाज सम्मत होता हैं, जो समाज की संस्कृति के अनुसार निश्चित होते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में लिंग शक्ति सबन्धों पर आधारित होता हैं , जैसे भाई –बहन के रिश्ते , जिसमे भाई पर बहन की रक्षा का भार रहता है। पति-पत्नी के रिश्ते जिसमे पत्नी को आश्रिता की श्रेणी मे रखा जाता हैं। महिला को दोयम दर्जे की श्रेणी मे ही रखा जाता हैं।

वर्तमान समाज का विश्लेषण करे तो चिंता इस बात की हैं , किसी लिंग विशेष मे आत्मविश्वास कैसे लाया जाये। रुढिवादिता से घिरे समाज मे लिंग भेद इतनी गहराई में पैठ बना चुका हैं , कि शिक्षित समाज भी इससे अछूता नहीं रहा हैं। आज दोहरी मानसिकता के चलते स्वस्थ वातावरण नहीं बन पा रहा हैं। एक तरफ पुरुष प्रधान समाज महिला प्रगति के रास्ते खोल रहा हैं , तो दूसरी तरफ उनकी शारीरिक कमजोरी का लाभ लेने से भी नहीं चुकता हैं। महिलाओं का अपनी महत्वाकांक्षा के चलते काफी बढ़ी कीमत भी चुकानी पढती हैं। महिला भी अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर समाजिकता को भूल रही हैं , और महिलाओं की दुर्गति होती जा रही हैं। अतः शिक्षित समाज में लिंग भेद के कारण मनोविकार देखने को मिलते हैं ।

आज शिक्षित समाज मे ही हम विकृत रूप देख रहें हैं , महिला अपनी योग्यता पर आगे बढ़ना चाहती हैं , तो वह कही न कही शोषण का शिकार हो जाती हैं। विकसित और विकास- शील देशों में इसी प्रकार का लिंग भेदभाव देखने को मिलता हैं। वर्तमान समय मे यह चिंता का विषय हैं , लिंग के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे लाया जाये , और ये तभी संभव जब गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

शिक्षा द्वारा लिंग सम्बन्धों के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन करने की क्षमता निहित हैं। इसलिए एक कारण यह भी हैं, कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची मे रखा गया हैं अर्थात शिक्षा राज्य व केंद्र दोनों का विषय है। शिक्षा का कार्य समानता लाना हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 , संशोधित POA 1992 तथा 2001 कि महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय नीति मे भी यही अपरिलक्षित हैं ,कि लिंग भेदभाव दूर करना हैं , तथा लिंग संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम मे बढ़वा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय नीति ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इस बात पर ज़ोर डाला गया हैं ।

2.1. भारतीय महिलाओं से संबंधित मुद्दे Indian women issues

1. **कन्या भ्रूण हत्या:** भारत में आम तौर पर समाज में विभिन्न समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। ये समस्या हैं, चयनात्मक गर्भपात और महिला शिशु भ्रूण हत्या जो, कि सबसे आम मुद्दा है। भारत में यह घटना आम हैं, कि माँ के गर्भ में कन्या भ्रूण का गर्भपात किया जाता है । मेडिकल द्वारा भ्रूण के लिंग निर्धारण और सेक्स चयनात्मक गर्भपात एक अपराध हैं, फिर भी ये अवैधानिक रूप से किया जाता हैं।

   कन्या भ्रूण हत्या यह विकार मानसिकता से जन्मी बुराई हैं। वंश केवल पुरुष ही चला सकते हैं, कन्या केवल बोझ होती हैं, उनके लिए दहेज एकत्र करना पड़ता हैं । उनकी सुरक्षा की अधिक आवश्यकता होती हैं । इन्ही कारणों से कन्या भ्रूण ह्त्या अस्तित्व मे आई जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण का पता लगाकर उसे मार देना । पूर्व-गर्भाधान के समय विभिन्न माध्यम से बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है । पूर्व गर्भाधान विधियों में एरिक्सन विधि (एक्स और वाई) शामिल हैं, जिसमे गुणसूत्र पृथक्करण और प्रीइमप्लांटेशन आनुवंशिक निदान सम्मालित हैं। हालाँकि, यह अब पुरानी विधि हैं। वर्तमान मे जो विधियाँ अधिक व्यापक उपयोग में लायी जाती हैं । जैसे: एमनियोसेंटेसिस, क्रोनिक विल्स नमूना और अल्ट्रा सोनोग्राफी। भारत में कन्या भ्रूण हत्या अर्थात कन्या भ्रूण का गर्भपात है, गैरकानूनी हैं । लेकिन यह आज भी हो रहा, क्योकि यह भारत में सदियों से फैले सांस्कृतिक जड़ों के कारण है। लिंग भेदभाव केवल कन्या भ्रूण हत्या के साथ समाप्त नहीं होता हैं। ज्यादातर मामलें जन्म से परे है। महिला शिशुहत्या एक जानबूझकर की गई हत्या हैं, कन्या को भ्रूण मे मारने के लिए कुछ जहरीले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का चयन किया जाता हैं, जिससे जच्चा व बच्चा दोनों को खतरा रहता हैं, या परिवार द्वारा ध्यान रखने के बाजाए उपेक्षा की जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कन्या भ्रूण हत्या नवजात कन्या की जानबूझकर कर की गई हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या के महत्वपूर्ण कारण पुत्र उन्माद । दूसरा कारण हैं, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है,

जिसमे बेटों को उम्मीद इसलिए की जाती हैं, क्योकि वह उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, इसलिए **बेटों को बुढ़ापे की लाठी कहा** जाता हैं।

दूसरी ओर **लड़की को एक "बोझ" के रूप में देखा जाता हैं।** दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई हैं, जिसने लड़की को बोझ बना दिया हैं। उसके प्रति अविश्वास पैदा कर दिया हैं। लोग यह मानने लगे की यदि लड़की होगी तो उसकी सलमाती के लिए दहेज तो देना ही पड़ेगा। दूसरी ओर लड़कों को संपत्ति के रूप में माना जाता है, जो माता-पिता के लिए दहेज लेकर आएगा, इस प्रकार के माता –पिता पूंजीवादी होते हैं। दहेज ने "बोझ" के रूप में घर में लड़की की स्टीरियो-टाइप धारणा बनाई है। इसलिए महिला को शिक्षित करना आवश्यक है, शिक्षित महिला लिंग भेदभाव को दूर करने में सहयक हो सकती हैं। अक्सर ये देखने मे आता हैं, कि महिला ही महिला की दुश्मन होती हैं। लेकिन शिक्षा के कारण तथा शिक्षित महिलाओं के स्वतंत्र दिमाग के कारण बेटियों को सुरक्षित रखने की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। शिक्षित पुरुष, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग में, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी बेटे को जन्म देना चाहते हैं। दूसरी तरफ कृषि में महिलाओं का हाशिए पर रखा जाता हैं। हालांकि महिलाओं का योगदान कहीं अधिक है, कृषि उत्पादन में भूमिहीन मजदूरों में सबसे बड़े समूह महिलाओ का ही होता हैं।

अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे परीक्षण मूल रूप से भ्रूण की जन्मजात असामान्यताओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन गर्भपात के इरादे से भ्रूण के लिंग को जानने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण हैं, कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन। प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 भ्रूण के लिंग के निर्धारण पर प्रतिबंध लगाता है। आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, क्लीनिकों, अस्पतालों, नर्सिंग के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीनों की संख्या के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2. **दहेज और वधू जलाना:** यह आम तौर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली एक और समस्या है, या शादी के दौरान या बाद में मध्यमवर्गीय परिवार। लड़कों के माता-पिता बहुत मांग करते हैं, दहेज की मांग पूरी न होने की स्थिति में वह उसकी ह्त्या करने से भी नहीं चूकते। 2005 में, लगभग 6787 दहेज भारतीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट अनुसार भारत में मृत्यु के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं हैं, कि स्त्री के प्रति बढ़ते अपराधों में दहेज अपने आप में एक बहुत वृहत कारण हैं। दहेज ने भारत में स्त्री को वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया हैं। जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं हैं। मध्य युग तक आते-आते राजपूताना में इस दहेज प्रथा ने अपनी जड़े जमाना

आरम्भ कर दी, और अपने से अधिक सम्पन्न परिवार में कन्या का विवाह कारण सम्मान समझा जाने लगा । कन्या के विवाह में अपने –अपने वैभव को प्रदर्शित करने कि प्रतिस्पर्धा बलवती होती चली गई। 19 वी सदी के अंत तक सामान्य परिवारों में भी दहेज लिया और दिया जाने लगा था । 20 वी सदी में यह प्रथा बड़ी तेजी से बड़ी और लगभग सम्पूर्ण भारत वर्ष पर और लगभग सभी जातियों में यह अपनी जड़े जमा चुकी थी। चूंकि ब्रिटिश राज में शिक्षा के प्रसार के साथ ही लड़के पढ़ लिख आकर नौकरियाँ करने लगे, लड़के की ऊँची पढ़ाई, अच्छी नौकरी, कुलीनता आदि से आकृष्ट कन्यापक्ष ने वर पक्ष को अपनी धन संपत्ति का लोभ देना प्रारम्भ कर दिया, और दहेज ने वर्तमान मे जघन्य रूप ले लिया और यह अभिशाप बन गया। कन्या पक्ष की और से प्रस्तावित धन संपति को क्रमशः वर पक्ष ने अपना नैसर्गिक अधिकार मान लिया।

वर्तमान भारतीय समाज में इस प्रथा के प्रसार के अनेक कारण हैं:-

- भारतीय समाज मे पुरुष की श्रेष्टता का भाव इतना रच बस गया हैं, कि हमारा समाज स्त्री को पुरुषों के समकक्ष मानने को तैयारी ही नहीं हैं, दहेज द्वारा मानो उसी कमी को पूरा किया जाता हैं।
- अपनी कन्या को सुखी देखने कि चाहत में अभिभावक अपने से ऊँचे स्तर का लड़का खोजते हैं। जितना सक्षम उच्च पद पर और सम्भ्रात परिवार में लड़का होगा, उसके लिए उतना ही अधिक दहेज निर्धारण होता हैं।
- यहाँ सदा से दहेज लिया जाता हैं, इस परंपरा कि दुहाई के चलते दहेज समाप्त नहीं होता ।
- दहेज मिलने को सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड मान लिया गया हैं।

  दहेज एक सामाजिक बुराई हैं, वही यह विधि और न्याय के लिए भी चुनौती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार ही इसे रोक सकती हैं।

3. **शिक्षा में असमानता:** आधुनिक युग मे भी महिला शिक्षा का स्तर अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है । महिला निरक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जहां 63% या उससे अधिक है, महिलाएं अशिक्षित रहती हैं। जैसे लड़कियों को लड़कों के मुक़ाबले विद्यालयों मे कम भेजा जाता हैं। उनका विद्यालय से ड्राप आउट भी लड़कों के मुक़ाबले ज्यादा हैं। निजी और अँग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों का प्रतिशत काफी कम हैं।

4. **घरेलू हिंसा:** वर्तमान समय में घरेलू हिंसा एक सामाजिक समस्या बनी हुई हैं, जो हर जगह व्याप्त हैं, पुरुषों के अधिकारी की अंतहीन शक्ति के कारण हर युग, हर संस्कृति, हर जाति और धर्म में घरेलू हिंसा का दौर चला आ रहा

हैं। घरेलू हिंसा पुरुष शक्ति का महिला की शारीरिक कमजोरी पर सीधा सा प्रक्षेपण हैं, इसे समाज का विडंबना पूर्ण विरोधाभास ही कहा जा सकता हैं, कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं कि भूमिका तेजी से बढ़ती हुए बताई जाती है, उसी समाज में उसके प्रति किए जाने वाले अपराध, उसका तिरस्कार, शोषण व अपमान का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा हैं। नारी के प्रति हिंसा का अविरल चक्र चलता ही जा रहा हैं। यह पेंडेमिक की तरह है, और व्यापक बीमारी हैं, महिला और बाल विकास अधिकारी के अनुसार लगभग 70% भारतीय महिलाओं को प्रभावित करता है।

5. **घरेलू हिंसा का अर्थ :-** घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005" घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है -"प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा

   - क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या
   - दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना ; या
   - पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या
   - पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुक्सान पहुँचाना"

महिलाओं पर घरेलू हिंसा के निम्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं –

- शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। घरेलू हिंसा के कारण दिन-प्रतिदिन स्वास्थ गिरता जाता हैं, अवसाद ग्रस्त होने के कारण मानसिक रोगी बन जाती हैं, तथा उसमें हींन भावना उसमें घर कर जाती हैं, और सभी जगहों पर स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।
- कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता व तार्किक सोच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।
- पारिवारिक रिश्तों, आस-पड़ोस के साथ रिश्तों पर हिंसा का नकारत्मक प्रभाव पड़ता हैं।

- महिला की सार्वजनिक भागेदारी मे भी घरेलू हिंसा के कारण उसके स्वावलंबी बनने मे रुकावट आती हैं। फलतः उसके मानवीय अधिकारों का हनन भी होता हैं।
- उचित संरक्षण के अभाव मे महिलाओं को लंबे समय तक घोर प्रताड़ना का शिकार रहना पड़ता हैं। परिणामतः वह विवश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं। दहेज ह्त्या भी घरेलू हिंसा के प्रतिफल हैं।
- व्यवहार में बनावटी पन, सम्बन्धों में स्वार्थीपन के कारण, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर समाज में झूठी शान बनाए रखना आदि, ने घरेलू हिंसा को चरम सीमा पर पहुँचा दिया हैं । जिससे महिला की स्थिति अत्याधिक गंभीर हो गई । फलतः कही – कही विरोध का स्वर भी मुखरित हो जाता हैं ।

सामाजिक व्यवस्था हमेशा से ही नैतिक और संस्कारों से प्रेरित रही हैं। जिसमें स्त्री पुरुषों की छाया से अधिक अस्तित्व आज भी नहीं रखती हैं। पुरुषवाद ने महिलाओं मे मार्ग में हमेशा ही रुकावट डाली हैं। उन्हे ऐसे अधिकारों से वंचित रखा हैं, जो उनकी प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हैं।

6. **बाल विवाह:** दहेज बचने के लिए माता-पिता द्वारा लड़कियों का शीघ्र विवाह कर दिया जाता हैं । यह ग्रामीण भारत में अत्यधिक प्रचलित है। बाल विवाह वह हैं, जिसमे लड़के की 21 वर्ष से पूर्व और लड़की की 18 वर्ष से पूर्व शादी की जाती हैं। विवेकानंद ने बाल –विवाह के दुष्परिणाम को स्पष्टतया सामने रखा और कहा बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती हैं, और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अल्पायु होती हैं, वह दुर्बल और रोगी संतान को जन्म देगी । विवेकानंद ने बाल विवाह की भत्सर्ना की और घोषित किया, कि जिस समाज में प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणिग्रहण होता हैं, उसके साथ मैं किसी प्रकार के संबंध रखने में असमर्थ हूँ।

बाल विवाह से होने वाले नुकसान :

1. कम उम्र में विवाह होने से गर्भाधान के मामलों में वृद्धि होती हैं ।
2. समय पूर्व प्रसव की घटनाये बढ़ती हैं ।
3. कम उम्र की बालिकाओं पर असमय गृहस्थी का बोझ आ जाता हैं ।
4. कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु दर में वृद्धि होती हैं ।
5. कम उम्र विवाह होने से बालिकाओं में गर्भपात और मृत प्रसव दर में वृद्धि होती हैं ।

6. कम उम्र में विवाह होने से शिशु मृत्यु दर एवं अस्वास्थ्यता दर में वृद्धि होती हैं।
7. बाल विवाह होने से घरेलू हिंसा एवं लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि होती हैं।
8. इसमें बच्चों के अवैध व्यापार एवं बालिकाओं की बिक्री में वृद्धि होती हैं।
9. बाल विवाह से बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि होती हैं।
10. बाल विवाह से बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण बढ़ता हैं।

7. **विधवाओं की स्थिति:** हम सब एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा हैं। हमें सदैव एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक-दूसरे की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, जिससे समाधान की दिशा में सही कदम उठाए जा सकें। देश भर में बड़ी संख्या में महिलाएं युद्ध, हिंसा व बीमारी के चलते अपने पतियों को खो देती हैं, और वो विधवा कहलाने लगती हैं | विधवाओं के साथ हमेशा से भेदभावपूर्ण व्यवहार होता आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार पति की मौत के बाद अभिशाप समझकर परिवार द्वारा निकाली गईं, ऐसी महिलाओं की संख्या करीब चार करोड़ के आस-पास है, तथा वर्ष 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 करोड़ विधवाएं हैं, परंपरा, रीति-रिवाज के नाम पर इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, परिवार के अंदर उन्हें बोझ समझा जाता है। विधवाओं को भारतीय समाज में बेकार माना जाता है। उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है, सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता। हमारे यहां विधवाओं की दूसरी शादी का चलन ही नहीं है। पति की मौत के बाद पत्नी को बाकी की जिंदगी अकेले ही बितानी होती है। भारतीय परंपरा में माना जाता है, कि शादी सात जन्मों का रिश्ता है। ऐसे में विधवा स्त्री दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। पति की मौत के बाद उसे पूरे जीवन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। परंपरा के नाम पर इन्हें सफेद धोती पहननी पड़ती है। विधवाओं के लिए सज-संवरकर रहना गलत माना जाता है।

देश में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जहां विधवाओं को अपशकुनी या चुड़ैल मान लिया जाता है। उत्तर व मध्य भारत और नेपाल के कुछ ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पंचायतें भी कुछ नहीं कर पाती है। भारत में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां बाल विवाह और बेमेल विवाह की कुप्रथा बदस्तूर जारी है। मसलन राजस्थान के कुछ इलाकों में बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कई बार तो कम उम्र की लड़कियों का विवाह उनसे कई गुना ज्यादा उम्र के पुरुषों से कर दिया जाता है। ऐसे में जब ये लड़कियां जवान होती हैं, तब तक उनके पति बूढ़े हो जाते हैं। पति की मौत के बाद इन्हें बाकी जिंदगी विधवा बनकर गुजारनी पड़ती है।

विधवाओं की खराब स्थिति के लिए अशिक्षा एक बड़ी वजह है। जहां अशिक्षा है, वहां गरीबी होना तय है। गरीबी की वजह से विधवाओं को बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, कपड़े और दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अनपढ़ होने की वजह से इन महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता और वे चुपचाप शोषण बर्दाश्त करने को मजबूर हो जाती हैं। उनके लिए राज्य और केंद्र सरकारों की कई योजनाएं हैं, पर इनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता।

देश में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं है। हमारा समाज पहले से ही महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, इसलिए बुढ़ापे में एक विधवा के लिए जीवन और कठिन हो जाता है। विधवाओं के लिए एक छोटी बचत योजना होनी चाहिए, ताकि वे अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जमा कर सकें। हमें विधवाओं से संबंधित व्यवस्थित आंकड़ें एकत्र करने होंगे ताकि उनके लिए व्यापक योजनाएं बनाई जा सकें। विधवाओं के इलाज और स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। विधवाओं को भी सम्मान से जीने और मुस्कराने का हक है। महिलाओं या बालिकाओं से संबंधित मुद्दे समाज में एक महिला के रूप में जन्म लेना महिलाओं के लिए अभिशाप कहा जा सकता है । महिलाओं पूरे जीवन में बहुत सारे सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का सामना करते हैं जो उनके लिए बड़ा संघर्ष है उनके जीवन की शुरुआत से ही सही ।

8. **नारी शिक्षा की उपेक्षा :** अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से महिलाओं को शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझा जाता हैं। यह माना जाता हैं, कि महिलाओं को कौनसी नौकरी करवानी हैं। अतः उन्हे शिक्षा की क्या आवश्यकता हैं। शिक्षा के आभाव मे महिलाए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहती हैं, और एक-एक करके उनके सभी अधिकार छिन लिए जाते हैं। अशिक्षा के कारण वे अंधविश्वासों, कुसंस्कारों और रूढ़ियों मे इस प्रकार जकड़ गई कि अब उसमें चेतना नाम कि कोई वस्तु नहीं रह गयी । परिणाम यह हुआ कि पुरुषों की तुलना मे महिलाओं कि स्थिति काफी दयनीय हो गई ।

नारी शिक्षा के उपेक्षा के कारण:

रूढ़िवादिता :- आज के प्रगतिकरक दौर मे भी रूढ़िवादिता हावी हैं। कई समाज आज भी इसका पोषण कर रहे हैं और उससे जकड़े हैं । जैसे कई समाज का मानना हैं, कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए । इसके लिए उन्हे शिक्षा कि क्या आवश्यकता है। कुछ समाज तो ऐसा मानते हैं कि लड़कियां पढ़ेंगी तो चरित्रहीन व उच्छर्लंक हो जाएगी।

अशिक्षा ;- हमारे देश मे आज भी शिक्षा का प्रसार सही रूप नहीं हो रहा हैं। । 1961 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 23.7 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी। जिसमे महिला का प्रतिशत तो नगण्य था । इसलिए शिक्षा के महत्व को समझने मे और लोगो तक पहुचने मे समय लगा । अधिकांश भारतीय बालिकाओं की शिक्षा को निरथर्क मानते हैं।

धार्मिक कट्टरता :- नारी शिक्षा की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारक हैं । मुस्लिम संप्रदाय मे फतवा जारी किया जाता हैं, कि नारी को शिक्षित नहीं किया जाए। चूंकि धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास पर आधरित होती हैं। हिन्दू समाज हो या मुस्लिम समाज दोनों की मान्यता है, कि कन्या के रजो गुण लेने से पहले ही शादी कर देनी चाहिए । क्योकि वे रजो गुण को अपवित्र मानते हैं और गुनाह मानते हैं।

शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा :- प्राचीन काल से भारतीयों की शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा रही हैं। यह धारणा आम हैं, कि शिक्षा से अच्छा रोजगार मिलता हैं अतः बालक को ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योकि वह बाहर जाकर नौकरी करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा इसलिए आवश्यक हैं, क्योकि इससे अच्छा वर प्राप्त होता हैं। अतः जहां ये दोनों महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती हैं, तो पढ़ाई छोड़ दी जाती हैं।

विवाह के प्रति अनुचित धारणा :- भारतीय परम्परा के अनुसार बाल विवाह करना आवश्यक हैं। यदि बालिकाओं का समय पर शादी नहीं करते हैं, तो उन्हे समाज की उलाहना व टीका टिप्पणी सुनने को मिलती हैं। विविध प्रकार के उचित – अनुचित लांछनों का सामना करना पड़ता हैं। अतः वे बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा उनके विवाह पर अधिक ध्यान देते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रो की अविकसित दशा :- भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अविकसित दशा में हैं। ऐसे दो –तिहाई हैं, जिनमे प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। भारत एक ग्राम प्रधान देश हैं। रोजगार और अन्य साधनों की कमी के कारण निर्धनता हैं। इसलिए शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता हैं।

सरकार की उदासीनता :- भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश माना जाता हैं। सरकार के पास विकास कार्य के लिए धन का अभाव रहता है । शासन की तरफ से शिक्षा पर कम खर्च किया जाता हैं। भारत का शिक्षा पर खर्च 3% से भी कम, शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत का दुनिया में 136 वां स्थान है। भारत में इस बार के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र को कुल 85 हजार 10 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पिछले

साल के संशोधित बजट से सिर्फ 3 हजार 141 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस तरह देश के शिक्षा बजट में इस साल महज 3.69 % का ही इजाफा हुआ। साल 2012-13 में शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला खर्च जीडीपी का 3.1% था। वहीं 2014-15 में यह खर्च 2.8% और 2015-16 में यह 2.4% पर आ गया। हालांकि, 2016-17 और 2017-18 में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई और अब यह आंकड़ा 2.7% पर आ गया है । देश की शिक्षा व्यवस्था बजट की भारी कमी से जूझ रहा है। उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा, हर जगह बजट की कमी है। पिछले एक दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में खर्च देश के जीडीपी के 3 प्रतिशत से भी कम रहा है, जबकि प्रस्तावित वैश्विक मानक 6 प्रतिशत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब जुलाई, 2019 में बजट पेश किया, तो शिक्षा क्षेत्र को 94,854 करोड़ रुपए का बजट मिला, जो 2014 के बजट से महज 15.68 फीसदी अधिक है। जबकि इस दौरान कुल बजट 55 फीसदी से अधिक बढ़ा । 2014-15 में सम्पूर्ण बजट की राशि 17.95 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 में बढ़कर 27.86 लाख करोड़ हो गई । इसके बावजूद भारत में शिक्षा पर खर्च काफी कम है। अभी भारत शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है, जबकि वैश्विक मानक 6 प्रतिशत है। शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 1964 में बने कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव था, कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा के मद में खर्च किया जाए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाया गया था। लेकिन इस राष्ट्रीय लक्ष्य को आज 40 साल बाद भी नहीं प्राप्त किया जा सका है।

अगर हम वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक आंकड़ें भारत से कहीं बेहतर हैं। शिक्षा पर खर्च का वैश्विक औसत जीडीपी औसत 4.7 % है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। जबकि नार्वे और क्यूबा जैसे छोटे देश अपनी जीडीपी का क्रमशः 7 और 13 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत के समान अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों शिक्षा पर लगभग अपनी जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करते हैं। भारत में जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बजट काफी कम है, वहीं इसका वितरण भी काफी असमान सा है। 2019-20 की बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो 94,854 करोड़ जारी किए गए, उसमें स्कूली शिक्षा का बजट 56,536.63 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा का बजट 38,317.36 करोड़ रुपए है। उच्च शिक्षा के 38,317.36 करोड़ रुपए में से देश के लगभग 1000 विश्वविद्यालयों का हिस्सा 6843 करोड़ रुपए है। वहीं देश में 50 से भी कम संख्या में स्थित आईआईटी और आईआईएम का बजट विश्वविधालयों के बजट से कहीं अधिक है। देश भर के 23 आईआईटी कॉलेजों का बजट 6410 करोड़ रुपए जबकि देश के 20 आईआईएम कॉलेजों को 445 करोड़ रुपया मिलता है। यही कारण है कि भारत की विश्वविद्यालयीय शिक्षा बेहद नाजुक स्थिति में है। बजट के असमान वितरण के अलावा एक और समस्या यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना बजट प्रस्तावित किया जाता है, उतना खर्च नहीं हो पाता। सेटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)

की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में 8 बार ऐसा मौका आया जब शिक्षा पर प्रस्तावित बजट खर्च नहीं हो सका ।

बालिका –विद्यालयों का अभाव :- शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिका –विद्यालयों का प्राय: पूर्ण अभाव हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर दो-तिहाई ग्राम ऐसे हैं, जहां शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा नहीं हैं। शेष एक –तिहाई ग्रामों में से अधिकांश में केवल बालकों के लिए ही विद्यालय हैं। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तरों पर भी बालिका-विद्यालयों का अभाव सभी को खटकता हैं। फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र मे गिरावट निरंतर जारी हैं।

शिक्षा में अपव्यव :- स्त्री शिक्षा की एक अन्य समस्या हैं, अपव्यय । यह अपव्यय बालकों की अपेक्षा बालिकाओं मे अधिक हैं। परिस्थियों के जाल में फँसी हुई बालिका माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में उतने वर्षों तक अध्ययन नहीं कर पाती हैं। जितने वर्षों तक लड़के करते हैं। शाला को बीच मे से छोड़ने वाले शाला त्यागी कहलाते हैं।

शिक्षिकाओं का अभाव :- भारतीय समाज मे असुरक्षा की भावना के कारण पालक गण विद्यार्थी को विद्यालय मे भेजते हैं। चूंकि आए दिन बच्चियों के साथ यौन प्रताड़ना के समाचार आते रहते हैं, जिसके कारण परिजन बालिकाओं को दूरस्थ या ऐसे जगह शिक्षा देने से बचते हैं जहां पर पुरुष शिक्षक हों क्योकि महिला अशिक्षा और शिक्षित महिला को बाहर काम नहीं करने दिया जाता हैं अतः वह घर मे ही रहती हैं । इसलिए महिला शिक्षिका का अभाव बना रहता हैं।

2.2. विद्यालय में लिंग से संबन्धित मुद्दे Gender issues in school

विद्यालय में समाजीकरण के आधार पर लिंग भेदभाव देखने को अक्सर मिल जाता हैं। विद्यालयों मे लड़कियां को बताया जाता हैं की वह लड़कों से अलग हैं वह सक्षम नहीं हैं। पाठ्यक्रम मे ऐसे पाठों का समावेश किया जाता हैं। जिसमे पुरुषों को महिलाओं का रक्षक बताया जाता हैं । महिलाओं के उत्थान संबन्धित पाठ कम ही समाहित किए जाते हैं। शिक्षक भी लड़कियों को एक आदर्श समाजीकरण के लिए तैयार करते हैं। लड़कियों को साफ़सुथरा और शांत रहने के लिए सराहा जाता हैं, जबकि लड़कों को स्वतंत्र रूप से सोचने,सक्रिय होने व निडरता से बोलने के लिए सराहा जाता हैं। समाज में महिलाओं की जो भूमिका लोकप्रिय हैं, उसे मान्यता प्रदान की जाती हैं। इस तरह बहुत सारे मुद्दे में लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या सबसे आम प्रथा है भारतीय समाज में माता के गर्भ में बालिका। महिलाओं को उनके लिए बोझ समझा जाता है माता-पिता और पति के रूप में वे सोचते हैं कि महिलाएं केवल पैसे का उपभोग करने के लिए पूरी जिंदगी यहां हैं, बिना थोड़ी कमाई के। महिलाओं के लिए एक और आम समस्या यौन भेदभाव है, वे अपने जन्म से सामना करते हैं और यह मृत्यु तक जारी रहते हैं। अशिक्षा, उचित शिक्षा का अभाव , घरेलू कार्यों के लिए जिम्मेदार, बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, आदि महिलाओं के लिए कुछ बड़े मुद्दे। हालाँकि, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं, देश में शिक्षित लोगों की संख्या के रूप में महिलाओं की स्थिति बढ़ रही है।

2.3. लैंगिक समानता में विद्यालयों की भूमिका Role of Schools in Gender Equality

समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता से विद्यालय भी अछूता नहीं रहा हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में इसका प्रमाण प्रबंधन में, शिक्षण में, शिक्षण-सामग्री में, शिक्षक-छात्र व्यवहार मे आसानी से परिलक्षित होता हैं । स्टेरिओ टाइप प्रक्रिया विद्यालय मे झलकती हैं। चाहे गणवेश (uniform) खेल आदि सभी मे लिंग पक्षपात देखने को मिलता हैं। शिक्षक मनोविज्ञान से भली भाति परिचित नहीं होते हैं, जिससे वह किसी लिंग विशेष की आवश्यकताओं को पूरा कर सके हैं। कई स्थान पर इसकी आवश्यकता होती हैं, क्योकि यौन उत्पीडन के मामले अनापेक्षित रूप से बढ़ रहे हैं, क्योकि शौचालय की व्यवस्था अलग नहीं हैं ।

अतः हम कह सकते हैं, विद्यालय मे एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं। यह किसी भी लिंग मे आत्मविश्वास लाने के लिए उत्तरदायी वातावरण का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विद्यालय मे एक समग्र दृष्टिकोण लाने कि आवश्यकता हैं, जिसमे प्रबंधन, शिक्षक, पालक सभी का योगदान महत्वपूर्ण हों। समग्र हस्तक्षेप में हम निनलिखित तत्व शामिल कर सकते हैं। माता-पिता, समुदाय के बड़े, उच्च पदों पर आसीन माननीय प्रबुध्दजन लिंग संवेदनशीलता का रेखाकिंत कर शिक्षक बालक –बालिकाओं में जागरूकता का विकास करे। लड़कियाँ शिक्षित क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाये। प्रशिक्षित व कौशलपूर्ण शिक्षकों द्वारा लड़के व लड़कियों को विशिष्ट आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए कौशलपूर्ण बनाना।

लड़कियों कि शिक्षा में जो बाधा आ रही हैं, उसे दूर करने का प्रयास करना। उसमें आत्मविश्वास लाने कि कोशिश करना, अपनी बाते बोलने के लिए प्रेरित करना। लड़कियों का सशक्त बनना।

लिंग उत्पीड़क मनोवृत्ति जिसमें पुरुष महिला को हेय दृष्टि से देखते हुए गलत मानसिकता रखते हैं, इस प्रवृत्ति को दूर करना आवश्यक हैं। लड़कों का लड़कियां के प्रति सम्मान बढ़ाने की कोशिश करना, उनमें आत्मविश्वास की भावना को जाग्रत करना, जिससे वह लैंगिक समानता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। लड़कियां और लड़कों के मध्य सकारात्मक यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। एक ऐसी मानसिकता का जन्म दिया जाना चाहिए, कि वे ये समझे कि यह एक नसर्गिक जीवन हैं, अश्लील और विकृत मानसिकता की देन नहीं हैं। बालक – बालिकाओं के विकास की दृष्टि से मार्गदर्शन व परामर्श केंद्र की स्थापना करना।

विद्यालय में लिंग समानता के लिए कुछ विचार :

1. विद्यालय में लिंग समानता विषय पर नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि करवा सकते हैं।
2. विद्यालय की मेगज़ीन में लिंग समानता के विषय पर एक कालम बनाकर आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।
3. विद्यालय में खेल दिवस मनाकर सबकों समान उत्तरदायित्व देकर कार्य कर सकते हैं।
4. विद्यालय मे ऐसे माननीय महोदय का सम्मान करके जिन्होने इस क्षेत्र में सरहनीय कार्य किया हों।
5. पोस्टर प्रतियोगिता रख कर भी।
6. कार्य स्थल पर सभी को समानता का अधिकार देकर।
7. कार्यशाला का आयोजन कर।
8. विद्यालय में लिंग समानता पर छात्रवृत्ति,पुरस्कार घोषित कर।
9. संवाद विधि द्वारा विद्यार्थी में आत्मविश्वास लाने का प्रयास कारण चाहिए।
10. पवार पॉइंट प्रस्तुतीकरण या विडियो रिकार्डिंग कर लघु फिल्म बनाई जा सकती हैं।

विद्यालय और कक्षा संगठन और प्रबंधन: भारत में विदयालयों और कक्षाओं में कई संदर्भों में भिन्नता है। कक्षा संगठन और प्रबंधन लिंग संबंधों को आकार देने का एक उत्तम तरीका हैं। कई शोध अध्ययनों से स्पष्ट है, कि कैसे कक्षा का वातावरण छात्रों को सीखने और लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को दूर करने में मदद कर सकता है। वास्तव में, एक लिंग अनुकूल वातावरण आसानी से किसी भी संदर्भ में एक शिक्षक द्वारा बनाया जा सकता है। इसके लिए संवेदनशीलता

और सकारात्मक इरादे की आवश्यकता है। एक लिंग के अनुकूल कक्षा का वातावरण और उसके समग्र प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न चरणों में लड़कों और लड़कियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है।

यह कुछ उपायों को अपनाकर लिंग अनुकुल वातावरण तैयार किया जा सकता है:

1. एक सुविधा के रूप में, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि भौतिक और सामाजिक वातावरण कक्षा लड़कों और लड़कियों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देती है। बैठने की व्यवस्था और सह-शैक्षणिक विद्यालयों में और मिश्रित समूह में जहां तक संभव हो सभी गतिविधियां होनी चाहिए।
2. शिक्षण प्रक्रिया में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. लड़कियों के लिए सुंदर, सुंदर, आज्ञाकारी, विनम्र जैसे विशेषणों के उपयोग से बचना चाहिए हैं, और लड़कों के लिए बहादुर, साहसी, मजबूत इन शब्दों से बचना चाहिए।
4. उत्कृष्ट, अच्छी, अच्छी तरह से की गई टिप्पणियों को प्रोत्साहित करना, लड़कों और लड़कियाँ दोनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
5. अपमानजनक और कलंकपूर्ण भाषा से बचने की कोशिश करें।
6. साथियों के बीच कोई संघर्ष तो नहीं यह जानने के लिए, विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें और उन्हें अपना दृष्टिकोण साझा करने दें।
7. सभी गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल करें।
8. लड़कियों के बीच भागीदारी की कमी के कारणों के बारे में पता करें।
9. लड़कियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी गतिविधियाँ जैसे- भूमिका निभाना, भाषाओं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के समस्या शिक्षण में हल करना और प्रश्नोत्तरी आदि को अपनाना चाहिए।
10. कक्षा के कर्तव्यों का आवंटन लिंग तटस्थता को दर्शाता है। लड़कों और लड़कियों को चाहिए, स्वच्छता बनाए रखने में समान रूप से भाग लें।
11. शिक्षक को कक्षा की गतिविधियों को समान रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी भी दोनों लिंग सौंपनी चाहिए ।
12. प्रभावी मौखिक संचार कौशल विकसित करने के लिए, पढ़ना और सस्वर संयुक्त रूप से होना चाहिए। सही उच्चारण, आवाज मॉडुलन और भाव वाले लड़कों और लड़कियों दोनों को सौंपा जाना चाहिए।

13. शिक्षक को धीमी शिक्षार्थियों की पहचान करने और उनके लिए कक्षाएं उचित उपचारात्मक आयोजन करने में सक्षम होना चाहिए।
14. चित्रों और कठपुतलियों, जैसे दृश्य सामग्री का उपयोग, साथ में खेतों में काम करने वाली महिलाओं का चित्रण पुरुषों के साथ, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स के रूप में, पुरुषों के साथ घरेलू कामों को साझा करना आदि कर सकते हैं,लैंगिक समावेश और समता बनाने में भी मदद करता है।
15. गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं जैसे विषयों के लेनदेन में देखभाल लड़कों और लड़कियों, दोनों पुरुषों और महिलाओं के उदाहरणों को शामिल किया जाना चाहिए।
16. कक्षा की संस्कृति को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, कि लड़के और लड़कियों के बीच बातचीत हो सके। कक्षा लोकाचार को खुला और सहायक बनाया जाना चाहिए, ताकि दोनों लड़के और लड़कियां बिना किसी आशंका के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं।
17. शिक्षक को ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4. लिंग समानता में शिक्षक भूमिका Teacher Role in Gender Equality

लिंग समानता मे शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। वे ऐसे शिल्पकार हैं, जो विद्यार्थियों की सफलता को आकार देते हैं। पाठ्यक्रम की व्याख्या, शिक्षार्थी के साथ संवाद, विद्याथियों को कर्तव्य बोध कराना यही शिक्षक का कार्य हैं। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। वे विद्यालय मे रोल मॉडल होते हैं। विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं। शिक्षक को विद्यालय मे लिंग संवेदनशीलता के कार्यकर्ता के रूप मे जाना जाता हैं, और इस रूप मे उसे अपना उत्तरदायित्व निभाना पडता हैं। इसके लिए स्वयं शिक्षक को मानसिक रूप से तैयार रहन पड़ता हैं। जिससे वह समानता का वातावरण तैयार कर सके। यह कार्य वह शिक्षण के दौरान आकर कर सकता हैं। बालिकों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी शिक्षक को करना पड़ता हैं। इसके लिए वह विभिन्न गतिविधियों का अयोजन कर सकता हैं। विभिन्न गतिविधियों मे सबको समान महत्व देने का कार्य भी शिक्षकों का होता हैं।

लिंग समानता को मजबूत करने के लिए शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं:-

1. शिक्षक पाठ्यक्रम का समय-समय पर मूल्यांकन कर लिंग समानता पर आधारित विषयवस्तु को रेखाकिंत कर विभिन्न विधियों द्वारा समझा सकते हैं।
2. वर्तमान में जो पाठ्यक्रम हैं, उसमे लैंगिक मुद्दों की खोज करना और विद्यार्थी के समान सकारात्मक रूप से पेश करता हैं।
3. शिक्षक लिंग- जागरूकता के लिए स्वयं लिंग संवेदनशील होने चाहिए, और लिंग संवेदनशील कार्यक्रम चलाने मे सहयोग देना चाहिए।
4. शिक्षकों को कक्षा मे एक पैटर्न नियोजित करना चाहिए।
5. शिक्षकों के समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, इसके लिए सभी शैक्षिक क्षेत्रों मे क्षमता निर्माण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
6. बालिकों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करना चाहिए। ताकि वह बेहतर कार्य के लिए प्रेरित हों।
7. उनके समक्ष लिंग समानता के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए।
8. विद्यालय में सामंजस्य का वातावरण पैदा करे।

2.5. लिंग समानता और साथियों की भूमिका Gender equality and the role of peers

बालक परिवार के बाद विद्यालय जाता हैं, जहां समाजीकरण करने मे उसके शिक्षक के अलावा उसके सहपाठी होते हैं, जो विभिन्न पृष्ठभूमि से संबन्धित होते हैं। कई ऐसे समाज या परिवार आते हैं, जहां लिंग भेदभाव कम होता हैं। इसके विपरीत कई ऐसे समुदाय होते हैं जो खुले विचारों के होते हैं। अधिकांशतः देखा गया हैं, कि दोस्तो की भूमिका स्टीरियो टाइप ही होती हैं। उनसे कुछ इस प्रकार की टिप्पणी देखने को मिलती हैं "आप यह नही कर सकते यह लड़कियों का खेल नहीं हैं"। "छोटे बाल तो लड़के रखते हैं, लड़कियों के लिए नहीं"। वे रूढ़िवादियों की तरह मौखिक उत्पीड़न करते हैं।

लेकिन यदि सहपाठी समूह भी लैंगिक समानता लाने मे सहायक हो सकता हैं। क्योंकि बालकों कि सामाजिक दुनिया यही शुरू होती हैं। जो लिंग भेदभाव वो समाज से ही शुरू हो जाती है, और वह स्वतः ही अपने लिंग के अनुसार होती हैं। समाज का डर हैं, कि लड़का, लड़की से बात करना, या लड़की का लड़के से बात करना गलत हैं। यह बाते

विद्यार्थियों को सामान्य होने नहीं देती। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता जा सकता हैं, यदि शैक्षिक गतिविधियों मे सबको समानता का अधिकार मिले।

2.6. लैंगिक समानता और पाठ्यक्रम Gender Equality and Curriculum

विद्यालयो और महाविद्यालयों में शिक्षण को दृस्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम विकसित किया जाता हैं। जिसके द्वारा विद्यार्थी को इसके द्वारा शिक्षित किया जाता हैं, यह एक त्रि-ध्रुवीय प्रक्रिया हैं

शिक्षक

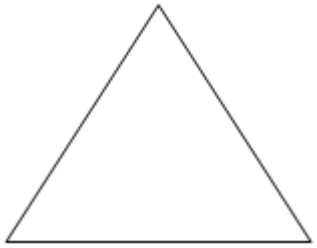

पाठ्यक्रम शिक्षार्थी

पाठ्यक्रम राष्ट्र की आवश्यकताओं विद्यार्थी की मानसिकता व शिक्षण दृष्टिकोण पर आधारित होता हैं । पाठ्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाते हैं। इसमे परिवर्तन संभव नहीं हैं । लेकिन जब किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता हैं, तो राष्ट्र की आवश्यकतों को ध्यान रखा जाता हैं । इसके लिए शिक्षाविद, उच्च पद पर आसीन गणमान्य व सम्मानीय व्यक्तियों तथा महिलाओं से भी राय ली जाती हैं। चूंकि पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित होता हैं । अतः जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता हैं, तो इसमें महिला प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता हैं । जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक हैं, कि पाठ्यक्रम लिंग-न्यायसंगत हों । पाठ्यक्रम मे आर्थिक रूप से पिछड़े लड़कियों की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए । पाठ्यक्रम की सरंचना इस प्रकार होना चाहिए, कि सभी को वो शिक्षित करने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाये। अतः पाठ्यक्रम मे इस प्रकार की सामग्री का समावेश करना चाहिए । पाठ्यक्रम मे सीखने के तरीकों पर भी महत्व दिया जाना चाहिए । पाठ्यक्रम मे विषयवस्तु मे समाहित चित्र, छवियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कही वह भेदभाव को तो नहीं दर्शा रही हैं। शिक्षाविद जब पाठयक्रम की रचना करते हैं,तो विद्यार्थियों की मानसिकता से परिचित होना चाहिए । विद्यार्थी विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, और संस्कृतिक पृष्टभूमि से आते हैं।

लैंगिक असमानता और व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताए आदि पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। इसके लिए आवश्यक हैं, शिक्षण के प्रति जागरूकता और शिक्षण में लैंगिक मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण । उन्हे मुख्यधारा मे कैसे सम्मलित किया जाना चाहिए । उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा महिलाओं तक कम ही पहुँच पाती हैं। मूल्यांकन में परीक्षा हावी न हों बल्कि निरंतर मूल्यांकन हों ।शिक्षण और पाठ्यक्रम में विद्यालय में लैंगिक समानता होनी चाहिए । जिसके लिए शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए। ताकि शिक्षक पाठ्यक्रम और व्यवहारिक सामग्री के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर सके । पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीकों मे लिंग असमानता देखने को मिलती हैं। कई प्रचलित प्रथाओं के बारे में बताया जाना चाहिए ।

यदि सभी को समान शिक्षा देनी हैं, तो सीखना अति महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षक- शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हैं। यदि नीतिगत विकास करना हैं, तो लिंग समान शिक्षा प्राप्त करनी होगी । सरकार और अन्य संबन्धित हितधारकों द्वारा पाठ्यक्रम सुनिश्चित और पाठ्यक्रम विकास में समाज के सभी स्तरों पर परामर्श सम्मालित किया जाना चाहिए । क्योकि लिंग समानता से संबन्धित क्या निर्णय लेना चाहिए। विशेष रूप से तब सामाजिक प्रथा के कारण महिलाओं को हाशिये पर रखा जाता हैं । गुणवत्ता तथा समानता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर आधारित हों । यौन हिंसा रोकने के लिए उनके जो कानूनी उपाय बताए गए हैं, उन्हे रेखांकित करे । विद्यालयों मे होने वाले उत्पीड़न, दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करे । शिक्षक-शिक्षा मे लिंग समानता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करे । दोनों मे वह विद्यालयपूर्व प्रशिक्षण हो, या सर्विस मे रहते हुए प्रशिक्षण दिया जाए । लिंग का समर्थन करने के लिए निरीक्षक और लिंग इकाइयों की क्षमता की भूमिका विकसित करना । शैक्षिक संस्थानों के सभी स्तरों पर कक्षा में समानता और नियोजन और बजट प्रक्रियाओं का आकलन करना, और सुनिश्चित करना कि अधिकारियों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर उन्हें लागू करने की क्षमता है।

भारतीय संदर्भ में पाठ्यपुस्तकें ज्ञान का महत्वपूर्ण भंडार हैं। यह एक महत्वपूर्ण है शिक्षण और शिक्षण सामग्री जो जिस पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों विश्वास करते हैं। अंतर्निहित और पाठ्य सामग्री में बुना गया स्पष्ट ज्ञान। इसमे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा और ज्ञान के अन्य उभरते क्षेत्र समाहित रहते हैं । सामग्री सभी विषयों को विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो उम्र, क्षमता और स्तर के अनुसार व बच्चों मनोविज्ञान के अनुसार होती हैं । इसके अलावा, किताबें सामाजिक दर्पण हैं, जो सामाजिक वास्तविकताओं का भी परिचय करवाती हैं । लेकिन क्या पाठ्यपुस्तके निम्न प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं :

1. क्या पाठ्य पुस्तकें सामाजिक यथार्थ को दर्शाती हैं?

2. वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों और चिंताओं को कैसे संबोधित करते हैं?
3. सामग्री, दृश्य और अभ्यास में लिंग संबंधों को कैसे चित्रित किया जाता है?
4. क्या पाठ्यपुस्तकों में मानवीय मूल्यों को बुना गया है?
5. क्या पाठ्यपुस्तकें निवास स्थान के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती हैं?
6. क्या वे बच्चों में पढ़ने की आदतें बढ़ाते हैं?

इनके उत्तर पाना अति आवश्यक हैं। ये पाठ्यपुस्तक का समय –समय पर मूल्यांकन पर ही संभव हैं। समकालीन समय में वैश्वीकरण ने सूचना प्रौद्योगिकी में विस्तार हुआ है। बच्चे अब ई-बुक ब्राउज़ करके इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। चूंकि पाठ्य सामग्री ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए इसमे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करना आवश्यक हैं,जैसे इक्विटी और समानता। इसलिए लिंग संबंध में चित्रण और विषयगत में योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। दुनिया भर में भारतीय संदर्भ में पाठ्य सामग्री का विश्लेषण अलग-अलग दृष्टिकोण से किया गया हैं।

पाठ्य सामग्री के लिंग संबंधी ऑडिट से यह जानने में सहायता मिलेगी:

1. पाठ्य सामग्री सभी विषयों से संबंधित है।
2. क्या पाठ्यपुस्तक सभी समूहों की समावेशी पहचान को एक समावेशी तरीके से दर्शाती है?
3. क्या पाठ्यपुस्तकें लिंग, जाति, वर्ग और से संबंधित समाज के सभी वर्गों को दर्शाती हैं ?
4. क्या वे संघर्ष के विभिन्न रूपों को संबोधित करने में सहायता करते हैं?
5. रूढ़िवादिता, मिथक और भ्रांतियां और रूढ़ि प्रथाएं औरतों के प्रति का अपमानजनक तो नहीं ?
6. क्या विद्यार्थियों मे लिंग संवेदनशीलता आ रही हैं?

वर्तमान संदर्भ मे उठने वाले मुद्दे के आधार पर कहा जा सकता हैं, कि NCF (2005) में प्रस्तावित सुधार स्वागत योग्य हैं, पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों से लिंग रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिये गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं :-

- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक में वहाँ संशोधन करने की आवश्यकता हैं, जहां महिलाओं का चित्रण केवल अच्छी गृहणियों की तरह किया गया हैं, पुरुषो के समान महिलाओं की उपलब्धियों को शामिल करने की आवश्यकता हैं।

- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तके की एक लिंग समिति हों जिसमे अकादमिक,नारीवाद, इतिहासकार,सरकार आदि शामिल हों, जिससे पाठ्यक्रम में गुणवत्ता आए एवं यह सुनिश्चित हो जाए, कि पाठ्यपुस्तकें लिंग भेद से मुक्त हों।
- बालिकाओं के स्थान के बारे में सतही सोच से लिखने के बजाए लेखकों को परिवार में बालिकाओं कि वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तके के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि इस पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करके लिखना चाहिए।
- शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान मे निहित भावना तथा मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए।

2.7. विद्यालय, घर और समुदाय में सुरक्षा की धारणा Perceptions of safety at school, home and in the community

बच्चे की सुरक्षा के हर मोर्चे पर आवश्यक हैं। बच्चों के साथ हमेशा से बाल अपराध होते आए हैं। चाहे यौन प्रताड़ना हो, या बाल मजदूरी। इससे घर, समाज और विद्यालय कोई भी अछूता नहीं रहा हैं, विकसित देशों मे बच्चो के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, और उनका कढाई से पालन होता हैं।

निम्नलिखित तरीके विद्यालयों को अपनाना चाहिए, जिससे सभी परिस्थितियों में बच्चे के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके :-

- विद्यालयों परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि सभी आगंतुकों जांच की जा सके।
- माता-पिता को उनके बच्चों का हिस्सा बनाने के लिए कार्यक्रम और भूमिकाएँ प्रदान करें।
- विद्यालयों के लिए बाल-सुरक्षा कार्यक्रम चुनें या विकसित किए जाने चाहिए हैं, शैक्षिक सिद्धांत,विद्यार्थियों की उम्र और शिक्षा के स्तर के लिए अनुसार होना चाहिए हैं, और वैसा ही विकास होना चाहिए। उसमे ऐसी अवधारणाओं होनी चाहिए है, जो बच्चों को आत्म-विश्वास का निर्माण करने में मदद करें तथा जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में बेहतर तरीके से स्वयं को संभालने व बचाने के लिए आवश्यक हैं।

दुनिया भर की लड़कियों के लिए, सुरक्षा योजना डिजाएन की गई हैं, लेकिन शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कक्षा में ,स्कूल आने -जाने में उन्हें हिंसा का खतरा है । यह हिंसा आक्रामक यौन व्यवहार का रूप ले सकती है, जैसे लड़कों द्वारा डराना और शारीरिक हमला, यौन प्रताड़ना और शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड और मौखिक दुर्व्यवहार आदि ।

1. लिंग समानता लाने के लिए अन्य प्रयास :-

- लड़के, लड़कियों को बराबर का व्यवहार ,देखरेख और सम्मान दे।
- लड़के और लड़कियों,महिलाओं और पुरुषों को समान पोषण, स्वास्थ, सेवाएँ शिक्षा, रोजी-रोटी कमाने व विकास का अवसर मिले ।
- अपने स्वयं के विचारों मे परिवर्तन करके अपने समुदायों मे लिंग पक्षपात और महिलाओं के प्रति हिंसा पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करे।
- पुरुष और महिलाओं दोनों परिवार के फैसलों में बराबर भूमिका निभाएँ ।
- दोनों सामुदायिक फैसले मे शामिल हों।
- एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना जिससे महिला पुरुष जीवन साथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में सम्मान प्राप्त करे।
- कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करना ।
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न कारण चाहिए ।

अभ्यास प्रश्न :

लघूत्तरीय प्रश्न :

1. लैंगिक समाजीकरण के लिए विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिये ?
2. लैंगिक असमानता को कम करने के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। स्पष्ट कीजिये ?

3. लैंगिक समानता के लिए पाठ्यचर्या की क्या भूमिका हो सकती हैं।
4. भारत मे महिला संबन्धित मुद्दों की व्याख्या कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1. लैंगिक समानता को पुनर्बलित करने के लिए शिक्षक, सहपाठियों एवं विद्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिये?
2. विद्यालयों के सामने युवाओं और पुरुष एवं स्त्री निर्माण की कौनसी चुनौती हैं।
3. नारी शिक्षा के कारण उदाहरण सहित बताइये?

क्रियात्मक गतिविधि :

समूह चर्चा:

बी एड विद्यार्थी भूमिकाओं के वितरण कर, विद्यालयों में कक्षा निरीक्षण करना हैं स्कूल दिनचर्या में लड़कियों और लड़कों को दे जाने वाली जिम्मेदारियों का । रोज़मर्रा की गतिविधियों का अध्ययन करना, जैसे अधिकांश लिंग भेदभाव पर होने वाली गतिविधियों की सूची तैयार करनी हैं और उस पर आधारित चर्चा होनी चाहिए:-

1. लड़कियां सभा गाना बजाने वालों का गठन करती हैं,और लड़को द्वारा अंतर-विद्यालय क्रिकेट टीम बनाया जाता हैं। .
2. लड़के और लड़कियों की साथ मे बैठने की भागीदारी ।
3. लड़कों की लिए विज्ञान व लड़कियों के लिए कला का विषय श्रेष्ठ क्यों माना जाता हैं।

शिक्षकों को इस तरह की रूढ़ियों पर सवाल उठाने और विद्यार्थी की मदद करने की आवश्यकता है, उनकी मान्यताओं पर पुनर्विचार करें।